न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मालाखेड़ा जिला अलवर (राज0)

पीठासीन अधिकारी सुश्री नवज्योति कंवरिया (आर.ए.एस.)

प्रार्थना पत्र संख्या	तारीख दायर	निर्णय दिनांक
3 / 31	09.06.2025	16.01.2026

बउनवान

01\. अशोक कुमार पुत्र हीरालाल, जाति ब्राहमण, निवासी बीच का मौहल्ला ग्राम पुनखर तहसील मालाखेडा जिला अलवर राज०

प्रार्थी

बनाम

01\. तहसीलदार (लैण्ड होल्डर) मालाखेडा जिला अलवर

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

उपखण्ड अधिकारी मालाखेड़ा (अलवर) राजमेव जयते

निर्णय

वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत प्रस्तुत किया। प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि आराजी खाता संख्या नया 450, पुराना खाता संख्या 422 के आराजी खसरा नम्बर 2811 रकबा 0.49 हैक्टेयर, 2812 रकबा 0.40 हैक्टेयर किस्म चाही सोयम वाके ग्राम पूनखर तहसील मालाखेडा जिला अलवर राज० में स्थित है। राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थीगण केदार बाबू शर्मा का नाम सहवन से भूरेलाल व राजपाल शर्मा का नाम राजेन्द्र उर्फ राजू कर दिया गया है। प्रार्थी केदार बाबू शर्मा को गांव मे प्यार से भूरिया बोलते थे, जिसके कारण सहवन से भूरेलाल दर्ज हो गया, इसी प्रकार प्रार्थी राजपाल को प्यार से राजू बोलते थे, इसी कारण राजेन्द्र उर्फ राजू दर्ज हो गया है, जो क्लैरिकल मिस्टेक है। प्रार्थीगण का नाम राजस्व रिकॉर्ड मे दर्ज करते समय सहवन से क्रमशः भूरेलाल पुत्र रामस्वरूप एवं राजेन्द्र उर्फ राजू पुत्र रामस्वरूप लिखा गया है जो कतई गलत है जबकि प्रार्थीगण का सही नाम केदार बाबू शर्मा पुत्र रामस्वरूप व राजपाल शर्मा पुत्र रामस्वरूप है। अतः प्रार्थीगणो का नाम दुरूस्त किये जाने का निवेदन किया।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर तहसीलदार मालाखेडा से रिपोर्ट ली गई। तहसीलदार मालाखेडा ने पत्र क्रमांक–भू.अ./2025/879 दिनांक–06.10.2025 में अंकित किया है कि दिनांक–25.09.2025 को मजमेआम में तैयार मौका पर्चा में उपस्थित लोगों द्वारा बताया गया है कि केदार बाबू शर्मा पुत्र रामस्वरूप, राजपाल पुत्र रामस्वरूप का बोलता नाम क्रमशः भूरेलाल पुत्र रामस्वरूप, राजेन्द्र उर्फ राजू पुत्र रामस्वरूप है, जिसके अनुसार ही राजस्व रिकॉर्ड में पूर्व में अमल हो गया था, जो कि अशुद्व होना बताया गया है तथा उपरोक्त नाम के अन्य व्यक्ति इस गांव में होना नहीं बताया है।''

वकील प्रार्थी की बहस सुनी।

प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया तथा तहसीलदार मालाखेडा से प्राप्त रिपोर्ट व वकील प्रार्थी की बहस पर मनन किया। प्रार्थीगणो के द्वारा भूरेलाल पुत्र रामस्वरूप, राजेन्द्र उर्फ राजू पुत्र रामस्वरूप के स्थान पर क्रमशः केदार बाबू शर्मा पुत्र

उपखण्ड अधिकारी
मालाखेड़ा (अलवर)

रामस्वरूप, राजपाल पुत्र रामस्वरूप नाम दुरुस्त कराये जाने का अनुतोष चाहा है। किन्तु किस स्तर पर प्रार्थीगणों के नामो का गलत अंकन हुआ जिसके तथ्य पेश नही किये। प्रार्थीगण द्वारा पत्रावली में ऐसा कोई दस्तावेजात पेश नहीं किया है जिससे प्रार्थीगण के बोलते नाम व असल नाम की पुष्टि हो। धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम अधिकार अभिलेखों में इंद्राजों के संबंध में हुई लिपिकीय त्रुटि के निस्तारण से संबंधित है, प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में किस स्तर पर गलत प्रविष्टियों का अंकन हुआ की स्पष्टता नही है।

अतः वकील प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू– राजस्व अधिनियम पोषनीय नही होने पर खारिज किया जाता है। प्रार्थना पत्र फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद पूर्ति जमा लेख भण्डार हो।

(नवज्योति कंवरिया)
(आर.ए.एस)
उपखण्ड अधिकारी
मालाखेडा (अलवर)

निर्णय आज दिनांक 16.01.2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय सुनाया गया।

(नवज्योति कंवरिया)
(आर.ए.एस)
उपखण्ड अधिकारी
मालाखेडा (अलवर)

उपखण्ड अधिकारी
मालाखेड़ा (अलवर)